**आकाशवाणी श्री विजयपुरम**

दिनांक : 10.10.2026 समय : 0705

<><><><><><><>

1. द्वीपसमूह के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा स्वराज द्वीप के दो दिवसीय दौरे पर है– इस दौरान उन्होंने विकास गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
2. निर्वाचन आयोग ने फॉर्म–7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है।
3. दुर्गा पूजा समारोह के मद्देनजर, दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सभी पूजा समितियों के लिए निर्देश जारी किए है।
4. जहाज एम.वी. स्वराज द्वीप के नवम्बर माह के संभावित यात्रा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा स्वराज द्वीप के दो दिवसीय दौरे पर है। दौरे के दौरान कल उपराज्यपाल ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, कचरा प्रबंधन, कानून–व्यवस्था और लंबित जन शिकायतों का आकलन करने के लिए जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और निर्धारित नियमों के तहत आम जनता से जुड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद, उपराज्यपाल ने गोविंद नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोविंद नगर का दौरा कर स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार व्यवस्था के निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने स्वराज द्वीप स्थित सीपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध यात्री सुविधाओं की समीक्षा की और पर्यटकों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए तीन वातानुकूलित हॉप–ऑन हॉप–ऑफ बसों को हरी झंडी

दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उपराज्यपाल ने परिवहन, जल आपूर्ति, सड़क और बिजली पर विशेष ध्यान दिया और अधिकारियों को इन विकास गतिविधियों में तेजी लाने और नागरिकों की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने हाल ही में लोक निवास में विकास कार्यों और कानून–व्यवस्था के मुद्दों का आकलन करने के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक में वर्तमान कानून–व्यवस्था की स्थिति, मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के उपायों, एक व्यापक नशा विरोधी अभियान शुरू करने की कार्य योजना और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में पहले दिए गए निर्देशों पर हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई।

<><><><><><><>

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म–7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम दस आवेदन कर सकता है। वहीं, मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम पांच आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से फॉर्म–7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या किसी नाम को हटाने के लिए फॉर्म–7 भरना अनिवार्य है। यह आवेदन केवल वही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम पहले से उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है। आयोग ने कहा कि फॉर्म–7 के आवेदनों की जांच और उनका निपटारा निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को निर्धारित नियमों के अनुसार करना होगा।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह में आज सभी मतदान केंद्रों पर छूटे हुए तथा पहली बार मतदान कर रहे युवा पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर के दौरान बूथ लेवल अधिकारी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे और मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे। पात्र नागरिक फॉर्म–6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मतदाता ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। सहायता के लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है या वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है।

<><><><><><><><>

दक्षिण अंडमान में 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले दुर्गा पूजा समारोह और प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर, दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सभी दुर्गा पूजा समितियों और आयोजकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। सभी समितियों को इन सुरक्षा मानकों और वैधानिक नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। इसके अनुसार नशीले पदार्थ के प्रभाव में किसी भी व्यक्ति को प्रतिमा विसर्जन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्सव और विसर्जन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए समितियों को पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों की तैनाती सुनिश्चित करनी होगी। लाउडस्पीकर का उपयोग रात 10 बजे के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर रखने और केवल भक्ति संगीत बजाए जाने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघन करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिमा विसर्जन के समय केवल सीमित संख्या में लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई 16 फीट से कम होनी चाहिए। सभी पूजा पंडालों में अग्निशमन व्यवस्था होनी चाहिए। पूजा समितियों को बिजली विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। सभी पूजा समितियों को समारोह और विसर्जन निकालने से पहले संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमतियाँ और मंजूरी प्राप्त करनी होगी। इसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष में सिंगल–विंडो सुविधा काउंटर स्थापित किया जा रहा है।

<><><><><><><><>

जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से जहाज एम.वी. स्वराज द्वीप के नवम्बर माह के संभावित यात्रा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। ये जहाज 4 नवम्बर को श्री विजयपुरम से विशाखापत्तनम और 16

नवम्बर को चेन्नई के लिए रवाना होगा। इस यात्रा के लिए टिकट 12 अक्तूबर से सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, जबकि शनिवार को दोपहर बारह बजे तक जारी किए जाएंगे। टिकट विभाग के ई–टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से भी बुक किए जा सकते हैं।

<><><><><><><><>

शारदीय नवरात्र के अवसर पर चिन्मय मिशन में कल सुबह 11 बजे कलश स्थापना की जाएगी। नवरात्र के दौरान प्रतिदिन सुबह 8 से 9 बजे और शाम 6 से साढ़े सात बजे तक पूजा–अर्चना होगी। महासप्तमी और महाअष्टमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा, जबकि महानवमी के अवसर पर कन्या पूजन का आयोजन होगा।

<><><><><><><><>

पर्यटन निदेशालय की ओर से 'रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉरमेंस– RAMP पर्यटन हस्तक्षेप 2026–27 के तहत कोच, कैब और ऑटो चालकों और पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें सीटें सीमित हैं। इस संबंध में, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक गूगल लिंक पर जमा किया जा सकता है।

<><><><><><><><>